संख्या–32/2026/I/1445030/2026/001-77-3002-1-2025

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

अवस्थापना विकास अनुभाग लखनऊ : दिनांक 25.08.2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026-27 में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नये लिंक एक्सप्रेसवे विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय के लिए धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक–1028/बजट/आगरा–पूर्वाचंल लिंक एक्सप्रेसवे/2025 दिनांक 06.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक 5054-03-337-18-आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नये लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना–60 भूमि क्रय के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि रू0 12000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। उक्त लिंक एक्सप्रेसवे हेतु भूमि क्रय के लिए जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राविधानित धनराशि में से रू0 50000.00 लाख आवंटित किये जाने हेतु यूपीडा द्वारा अनुरोध किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिलाधिकारी, लखनऊ रू0 50000.00 लाख **(रुपये पाँच अरब मात्र)** भूमि क्रय मद में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(1) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, लखनऊ के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) यूपीडा का यह दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, लखनऊ से व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक अथवा पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखी जायेगी।
(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,00,000 (रुपये पाँच अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय–व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033371800 आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नये लिंक एक्सप्रेसवे **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय – व्ययक) अनुभाग – 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 4/2026/बी–1-812/दस–2026-231/2026, दिनांक– 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्रीजी, अवस्थापना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।.
4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पिकप भवन गोमती नगर लखनऊ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
9.वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
10. वित्त (ई–6) अनुभाग–6/औद्योगिक विकास अनुभाग–2
11. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
12.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
13.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।